संख्या- 7/708/पैंतीस-2-2014-3/16(60)/2013

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2014**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष " निदेशन एवं प्रशासन" योजना हेतु आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू योजना के अन्तर्गत वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष अर्थ एवं संख्या प्रभाग के जनपद कासगंज, शामली, सम्भल, हापुड़ एवं अमेठी कार्यालय के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-40 के अनतर्गत आयोजनागत पक्ष में वेतन, भत्तों आदि के लिए प्रावधानित रू0 43,43,000/- (रू0 तैतालिस लाख तैतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014 हेतु आवश्यक व्यय को वहन करने हेतु रू0 14,40,000/- (रू0 चौदह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.2014 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन प्रदन की गयी है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) अन्य किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण " आहरण एवं संवितरण अधिकारियों" द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1004/दस-2003-सं0वि0मि0-1/2003, दिनांक 11 अगस्त, 2003 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

7- तत्संबंधी व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

8- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-2 को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: (1) / पैंतीस-2-2014-तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, ल्खनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल/संबंधित पत्रावली।

आज्ञा सें,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 708/पैतीस-2-2014-3/39(60)/2013, दिनांक अप्रैल, 2014 का संलग्नक अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक- "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय"

(धनराशि हजार रूपये में)

कोड सं0	मद का नाम	वर्ष 2014-15 हेतु कुल स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान	वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान
1	2	3	4
01	वेतन	1710	570
02	मजदूरी	10	3
03	मंहगाई भत्ता	1796	598
04	यात्रा व्यय	50	16
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7	2
06	अन्य भत्ते	165	55
08	कार्यालय व्यय	50	16
09	विद्युत व्यय	20	6
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	30	10
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	33
13	टेलीफोन पर व्यय	20	6
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20	6
17	किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	200	66
18	प्रकाशन	20	6
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10	3
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	33
47	कम्प्यूटर का अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	35	11
	योग-	**4343**	**1440**

(रू0 चौदह लाख चालीस हजार मात्र)

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in